लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/04/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 19.01.2021
GIS NO. :- 2021/37

श्री बलवन्त कुमार शर्मा पिता श्री नाथूलाल शर्मा निवासी आजाद मौहल्ला, भादसोड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 16.02.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 18.11.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 04/2021/(16.02)/95 दिनांक 21.01.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 16.02.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 16.02.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा उसके द्वारा वांछित, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के आवंटन आदेश क्र. 187/81 दिनांक

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

28.08.87 की प्रमाणित प्रति/सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/10 दिनांक 11.02.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री बलवन्त कुमार शर्मा पिता श्री नाथूलाल शर्मा, निवासी आजाद मौहल्ला, भादसोड़ा, तहसील भदेसर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 20.11.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2672 दिनांक 25.11.2020, 22.01.2021 एवं दिनांक 11.02.2021 से चाही गई है जो अभी तक अप्राप्त है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से यथाशीघ्र प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/10 दिनांक 11.02.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त समय चाहा है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 04 / 2021 (सू.अ.)

श्री बलवन्त कुमार शर्मा निवासी भादसोड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

Web Copy - Not Official

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 04 / 2021(सू.अ.) / 174 दिनांकः– 16 / 02 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री बलवन्त कुमार शर्मा पिता नाथूलाल शर्मा निवासी आजाद मौहल्ला, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)